164

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1334-एक/2016 - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-4-2016- पारित द्वारा - तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर - प्रकरण कमांक 55 अ-68/2015-16

शिवचरण पुत्र कालूराम जाटव
ग्राम बहेरिया रूपनगर तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार
तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर ----अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 27 -10 -2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 55 अ-68/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-4-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी ग्राम बहेरिया रूपनगर ने तहसीलदार ईसागढ़ को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आवेदक ने शासकीय भूमि सर्वे कमांक 479/2 रकबा 1.045 हैक्टर में से 10X20 फुट पर तार फेंसिग करके अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी रिपोर्ट पर से तहसीलदार ईसागढ़ ने आवेदक के विरूद्ध प्रकरण कमांक 55 अ-68/2015-16 पॅजीबद्ध

किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 22-4-2016 पारित करके प्रकरण के निराकरण तक उक्तांकित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करना आदेशित किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि बहेरिया रूपनगर की अपर कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण कमांक 2 अ 59/11-12 में पारित आदेश दिनांक 24-7-12 से शासकीय भूमि सर्वे कमांक 479/2 रकबा 1.045 हैक्टर आबादी घोषित की गई है जिसमें विवादित भू भाग का पट्टा आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का पात्र हितग्राही होने से मिला है । उक्त भूमि आबादी घोषित होने के वाद विवादित भू भाग का पट्टा मिलने पर आवेदक ने ग्राम पंचायत आकलोन से विधिवत् निर्माण की अनुमति प्राप्त की है एंव तत्समय के राजस्व अधिकारियों ने जहां पर भूमि नापकर दी है वहीं पर निर्माण कार्य किया गया है परन्तु हलका पटवारी ने द्वेशवश रिपोर्ट दी है जबकि तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण कमांक 1386 बी 121/13-14 में पारित आदेश से विभिन्न हितग्राहियों को प्रत्येक हितग्राही 600 वर्गफुट भूखंडों के पट्टे दिये है, जिसके कारण आवेदक के विरूद्ध अतिकमण का प्रकरण नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार ईसागढ़ के आदेश दिनांक 22-4-16 को निरस्त करने की प्रार्थना की।

शासन पक्ष के पैनल लायर का तर्क यह है कि ग्राम बहेरिया रूपनगर की भूमि सर्वे कमांक 479 का कुल रकबा 4-431 हैक्टर है जिसमें से शासकीय माडल स्कूल के लिये एंव कन्या छात्रावास के लिये भूमि आरक्षित है तथा सर्वे नंबर 479 में 479/2 कायम करके 0.523 हैक्टर भूमि पुलिस विभाग को आवंटित की गई है किन्तु आवेदक वेशकीमती भूमि पर अतिकमण करके रिहायशी स्थल को छोड़कर शासकीय भूमि पर बाणिज्यक प्रयोग से अन्यत्र स्थान पर दुकानों का निर्माण कर रहा है जिसके कारण तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 22-4-2016 से की जा रही कार्यवाही विधिवत् है। उन्होंने से निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक द्वारा सरपंच एंव उपसरपंच ग्राम पंचायत अकलोन एंव ग्राम पंचायत के अन्य पंचगण के पत्र दिनांक 24-12-17 के साथ माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर में दायर की गई रिट पिटीशन कमांक 1360/2017 में पारित आदेश दिनांक 27-2-17 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें उसके द्वारा कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण कमांक 14 अ 59/16-17 में पारित आदेश दिनांक 7-1-17 से ग्राम बहेरिया रूपनगर की भूमि सर्वे नंबर 479/2 में चे 0.523 हैक्टर पुलिस विभाग को आवंटित किये जाने को चुनौती दी है। इस प्रकार आवेदक एक ही भूमि पर स्वत्व के सम्बन्ध में एक साथ माननीय उच्च न्यायालय से एंव राजस्व मण्डल से अनुतोष प्राप्त करना चाहता है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी विचार योग्य नहीं रही है।

6/ तहसीलदार ईसागढ़ के अंतरिम आदेश दिनांक 22-4-16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि इस आदेश में उन्होंनें निम्नानुसार निर्णय लिया है :-

" जहॉ तक अनावेदक द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति उठाई गई है उसका निराकरण प्रकरण में उभय पक्षों की साक्ष्य के वाद किया जावेगा। उक्त संशोधन के वाद अनावेदक सॅशोधन के संबंध में यदि कोई अतिरिक्त जवाव प्रस्तुत करना चाहता हो तो अगली पेशी तक प्रस्तुत करे। अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण के निराकरण तक सर्वे क. 479/2 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगा। "

तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 22-4-16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने आवेदक को बचाव प्रस्तुत करने, लेखी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया है जहां तक निर्माण कार्य का प्रश्न है ? यदि आवेदक वादग्रस्त स्थल पर स्थाई निर्माण कर लेगा, प्रकरण के निराकरण में व्यवधान उत्पन्न होने की आशॅका है जिसके कारण तहसीलदार ने स्थाई निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। जहां तक अपर कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण कमांक 2 अ 59/11-12 में पारित आदेश दिनांक 24-7-12 से वादग्रस्त भूमि आबादी घोषित करने एंव आबादी घोषित होने के उपरांत तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 1386 बी 121/13-14 में पारित आदेश से विभिन्न

हितग्राहियों को प्रत्येक हितग्राही 600 वर्गफुट भूखंड के पटटे दिये जाने का प्रश्न है - आवेदक को तहसीलदार के समक्ष उक्त तथ्य प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 55 अ-68/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22-4-2016 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर